

(नियम 31 देखें)

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960

भारत निर्वाचन आयोग

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में नाम के समावेश के लिए दावा

सफेद पृष्ठभूमि के साथ पासपोर्ट आकार (4.5 सेमी. X 3.5 सेमी.) का रंगीन अहस्ताक्षरित हाल ही के फोटो के लिए स्थान जिसमें पूरे चेहरे के सामने का भाग दिख रहा हो

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,

.....(स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र,

श्रीमान्,

मैं प्रार्थना करता/करती हूँ कि मेरा नाम (स्नातक) निर्वाचन क्षेत्र में
रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

1. विशिष्टियां :-

पूरा नाम

[illegible]

लिंग

पिता/माता/पति का (पूरा नाम)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

अर्हता

व्यवसाय

घर का पता (सामान्य निवास का स्थान)

मकान / भवन / अपार्टमेंट नं०	गली / मोहल्ला
शहर / गाँव	पोस्ट ऑफिस
पुलिस स्टेशन / तहसील / तालुका / मौजा	
जिला	राज्य

આયુ

11

वर्ष

महीना

जन्म की तारीख

[illegible]

अक्षमता (यदि कोई हो) :- (उचित बाक्स में टिक करें) (वैकल्पिक)

11

दृष्टि क्षीणता

11

वाणी और श्रवण अक्षमता

7

चलन अक्षमता

1

अन्य

क्या किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं

यदि हां तो निम्नलिखित विवरण दें -

(क) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम

(ख) भाग/मतदान केंद्र संख्या (यदि ज्ञात है)

(ग) जन्म की तारीख

[illegible]

आधार विवरण :- (कृपया उचित बाक्स में टिक करें)

(ख) मैं आधार संख्या देने में अक्षम हूँ क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है

[illegible]

तारीख

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर
(पता)

.....छिद्रण.....

आवेदन की रसीद

श्री / श्रीमती / कुमारी.....जो..... का / की निवासी है, से प्ररुप 18 में आवेदन प्राप्त हुआ
तारीख

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर
पता

तीसरी अनुसूची

प्रारूप

कार्यालय के राजपत्रित प्रमुख द्वारा स्नातक कर्मचारी को उसकी
शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र

मेरी अभिरक्षा में सरकारी रिकार्ड में प्रविष्टियों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि
श्री/कुमारी/श्रीमती.....(यहां पूरा नाम दें)
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....जो इस कार्यालय में.....के पद पर नियुक्त
हैं, ने वर्ष.....में(विश्वविद्यालय/बोर्ड के नाम का उल्लेख करें).....
.....से
(यहां डिग्री/डिप्लोमा परीक्षा के वितरण का उल्लेख करें) उत्तीर्ण की है।

स्थान :

(कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर)

दिनांक :

(राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाए)